

पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना जल सं०-04/2013 305

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग/मेदिनीनगर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 30-3-14

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

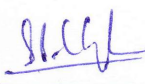
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय/ 80-सामान्य	लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545	-28.34

आवंटित राशि -ऋणात्मक ₹ अठाइस लाख चौतीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट उपबंध रु. 1800.00 लाख (अठारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1, में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

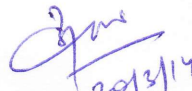
नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

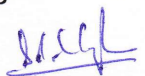
ज्ञापांक :- 305 रॉची, दिनांक :- 30-3-14
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

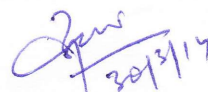
ज्ञापांक :- 305 रॉची, दिनांक :- 30-3-14
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक :- 305

दिनांक :- 30-3-14

परिशिष्ट :- 1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय,

उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगाना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,

विरस्तुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545

वित्तीय वर्ष 2013-14 में संशोधित बजट उपबंध 1800.00 लाख (अठारह करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि	मार्च 2013 तक व्यय	वर्ष 2013-14 में निर्गत आवंटन						अभ्युक्ति
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलपथ प्रमण्डल, बरही	हजारीबाग	केशो जलाशय योजना	86 / 26-02-2014	13198.66	6661.916	547.24522	0.00000	59.80000	59.80000	607.04522	
2	जलपथ प्रमण्डल, बरही	हजारीबाग	पंचखेरो जलाशय योजना	25 / 07-08 प्र०स्वी० दिनांक-23.08.2007	7568.97	6633.696	580.28000	59.80000	0.00000	-59.80000	520.48000	
3	रूपांकण प्रमंडल संख्या-1, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	बटाने जलाशय योजना	बिहार सरकार का पत्रांक-3(टी)(ए)-4 / 2000-पार्ट-II पत्रांक 75 दिनांक 11.01.2010	11602.00	10683.000	187.09000	151.34000	123.00000	-28.34000	158.75000	
कुल योग						1314.61522	211.14000	182.80000	-28.34000	1286.27522		
अतिरिक्त आवंटित राशि:-ऋणान्तक ₹ अठाइस लाख चौतीस हजार मात्र।												
आवंटित राशि परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्य हेतु												

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(एम०एस० चौसरिया)

उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 305 दिनांक 30-3-14 का अनुलग्नक परिशिष्ट - 2
विपत्र कोर्ड - 49P470180796700759 (राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जलपथ प्रमण्डल, बरही	केशो जलाशय योजना	केशो जलाशय योजना का भू-अर्जन एवं योजना कार्यो हेतु	547.24522	0.00000	59.80000	59.80000	607.04522	
योग				547.24522	0.00000	59.80000	59.80000	607.04522	
2	जलपथ प्रमण्डल, बरही	पंचखेरो जलाशय योजना	पंचखेरो जलाशय योजना के कार्यो हेतु	580.28000	59.80000	0.00000	-59.80000	520.48000	
योग				580.28000	59.80000	0.00000	-59.80000	520.48000	
3	रूपांकण प्रमंडल संख्या-1, मेदिनीनगर	बटाने जलाशय योजना	बटाने बाँध एवं बराज के गेट एवं कन्ट्रोल रूप का अवशेष कार्य	50.00000	39.69000	0.00000	-39.69000	10.31000	
			बटाने जलाशय योजना के दांये मुख्य नहर के चेन सं०-0 से 110.00 तक अवशेष मिट्टी कार्य	1.67000	0.00000	0.00000	0.00000	1.67000	
			दांये मुख्य नहर के चेन सं०-0 से 30.00 तक बांया बैंक पर मिट्टी भराई कार्य	9.84000	0.12000	0.00000	-0.12000	9.72000	
			दांये मुख्य नहर के चेन सं०-130 से 131.50 तक मिट्टी कार्य	8.28000	0.00000	0.00000	0.00000	8.28000	
			दांये मुख्य नहर के चेन सं०-200.00 से 390.00 तक मिट्टी कार्य	10.31000	10.31000	0.00000	-10.31000	0.00000	
			दांये मुख्य नहर के चेन सं०-222.00 पर स्केप निर्माण कार्य	0.60000	0.22000	0.00000	-0.22000	0.38000	
			दांये मुख्य नहर के चेन सं०-223 एवं 318 पर संरचना का अवशेष कार्य	6.39000	1.00000	0.00000	-1.00000	5.39000	
			दांये मुख्य नहर के चेन सं०-428/437 पर सी०डी० निर्माण कार्य (अवशेष कार्य)	50.00000	50.00000	0.00000	-50.00000	0.00000	
			पुनर्वास स्थलों का विकास कार्य	50.00000	50.00000	0.00000	-50.00000	0.00000	
			भू-अर्जन कार्य हेतु	0.00000	0.00000	123.00000	123.00000	123.00000	
योग				187.09000	151.34000	123.00000	-28.34000	158.75000	
कुल योग				1314.61522	211.14000	182.80000	-28.34000	1286.27522	
कुल राशि:- ऋणात्मक ₹ अठाइस लाख चौतीस हजार मात्र।									

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव